दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय की तिथि:24 जनवरी, 2023

निम्न मामलें में:

<u>ले.पे.अ. 31/2023 और दी.वि.आ. 2020/2023</u>

रणजीत सिंह .... अपीलार्थी

द्वारा : श्री ए.के. दुबे और श्री पवन, अधिवक्तागण

बनाम

दि.न.नि.के आयुक्त एवं अन्य ... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री मनु चतुर्वेदी, स्था.अधि., दि.न.नि. सह
श्री मल्हार देसाई, प्र.-1 हेतु अधिवक्तागण

कोरमः

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री सुभ्रमोणयम प्रसाद

<u>निर्णय</u>

<u>सुभ्रमोणयम प्रसाद, न्या.</u>

1. अपीलार्थी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रि.या.(दी.) 8078/2022 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2022 को चुनौती देने हेतु निवेदन प्रस्तुत करता हैं, जिसे अपीलार्थी ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष प्रत्यर्थीगण को घरौली डेयरी फार्म, दिल्ली के ए-862, ए-863 और ए-

864 संख्या धारक संपत्ति (यहां इसके बाद प्रश्नगत संपत्ति के रूप में संदर्भित) पर अवैध और अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने के निर्देश देने की मांग हेतु दायर की थी|

2. यह कहा गया है कि प्रश्नगत संपत्ति डेयरी फार्म के व्यवसाय को चलाने के लिए अपीलार्थी के नाम पर आवंटित की गई थी |यह कहा गया है कि 1984 में दंगों के दौरान अपीलार्थी को दिल्ली छोड़नी पड़ी थी और जब वह 1988 में वापस आया तो उसने पाया कि पू.दि.न.नि. तथा पू.दि.न.नि. के पशुपालन विभाग ने आवंटन रद्द कर दिया था।यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने तत्पश्चात रद्द करने के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जो कि रि.या.(दी.) 7179/2000 है। दिनांक 10.02.2003 के आदेश द्वारा रि.या.(दी.) 7179/2000 का निपटान कर दिया गया था। अपीलार्थी द्वारा की गई प्रार्थना पर राहत नहीं प्रदान की गई। इसके बाद अपीलार्थी ने एक अन्य रिट याचिका दायर की, जो कि रि.या.(दी.)777/2014 है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2015 के आदेश द्वारा निपटाया गया था। यह कहा गया है कि दिनांक13.03.2015 के आदेश को अपीलार्थी द्वारा ले.पे.अ.650/2015 दायर करके चुनौती दी गई थी| इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने दिनांक 29.09.2015 के आदेश द्वारा इसमें अपीलार्थी को प्रश्नगत संपत्ति के स्वामित्व की पुनः प्राप्ति हेतु दीवानी उपायों की सहायता लेने का निर्देश देते हुए ले.पे.अ. का निपटान किया था | यह कहा गया है कि इसमें अपीलार्थी ने प्रश्नगत संपत्ति के स्वामित्व को पुनः हासिल करने हेतु दीवानी मुकदमा संख्या 2747/2016 दायर किया और कथित वाद को दिनांक 19.05.2018 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया| यह कहा गया है कि अपीलार्थी ने एक अपील, नि.प्र.अ.सं.

808/2018 दायर करके दीवानी मुकदमें की ख़ारिज किए जाने को चुनौती दी, जिसे दिनांक 24.09.2018 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। इसके उपरांत अपीलार्थी ने रि.या.(दी.) 8078/2022 दाखिल करके इस न्यायालय के समक्ष आया, जिसमें कहा गया है कि अपीलार्थी का आवंटन रद्द कर दिया गया था और संपत्ति पू.दि.न.नि. के पास निहित है, और पू.दि.न.नि. ने प्रश्नगत संपत्ति को वापस पाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है जो रैंक अतिक्रमणकर्ताओं के कब्जे में है जिन्होंने संपत्ति पर निर्माण किया हुआ हैं| अपीलार्थी ने कथित रिट याचिका में निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की हैः

> "(क) ए-862, ए-863 और ए-864 घरौली डेयरी फार्म, दिल्ली-110091 की सम्पति पर अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करना;
>
> (ख) ए-862, ए-863 और ए-864 घरौली डेयरी फार्म, दिल्ली-110091 की सम्पति के स्वामित्व की न्यायहित में पुनः प्राप्ति;
>
> (ग) वर्तमान सुगमता के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोई अन्य आदेश/निर्देश पारित करना।''

3. उक्त रिट याचिका को निगम के अधिवक्ता के इस बयान पर कि अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है, दिनांक 13.07.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। वर्तमान अपील में इसी आदेश को चुनौती दी गई है|

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर सामग्री का अवलोकन किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका में उसके द्वारा उठाए गए दावों को दोहराया है| हमने मामले के अभिलेख का अध्ययन किया है| अपीलार्थी अपने आवंटन के रद्द होने के आदेश को ख़ारिज कराने के अपने प्रयास में विफल रहा है| अपीलार्थी द्वारा दो रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है और स्वामित्व की पुनः प्राप्ति हेतु उसके द्वारा दायर दीवानी मुकदमा और अपील भी खारिज कर दी गई है, और आदेश अंतिम रूप ले चुके हैं|

6. दि.न.नि. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दिए गए अपने बयान को दोहराया है कि अतिक्रमण करने वालों से प्रश्नगत संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए नगर निगम द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में यह अभिलिखित है कि प्रश्नगत संपत्ति पर स्वामित्व रखने वाले व्यक्ति ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15.03.2018 के निष्कासन आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष रि.या.(दी.) 2239/2018 दायर किया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

7. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. तदनुसार, अपील एवं साथ में यदि कोई लंबित आवेदन (नों) हो खारिज की जाती हैं।

तटस्थ उद्धरण संख्याः2023/दि.उ.न्या./000554

सतीश चंद्र शर्मा, मु.न्या.

सुभ्रमोणयम प्रसाद, न्या.

24 जनवरी, 2023
राहुल

(Translation has been done through the AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी|